झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सीएमपी सं. 124/2019

पानो देवी उर्फ पानो कुंवरि

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. उपायुक्त, चतरा

3. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, चतरा

4. अंचल अधिकारी, इटखोरी

..... विपक्षीगण

कोरम :माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पंकज कुमार, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री राकेश रॉय, जीए-IV के एसी

06/15.02.2021 मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से की गई है।

यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यूपी (सी) सं. 4115/2017 की पुनर्स्थापना के लिए दायर की गई है, जो 08.02.2019 के आदेश के गैर-अनुपालन के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार, कुमार ने प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (सी) 4115/2017 के No.4115 को दिनांक 08.02.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया है, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित किया जा सकता है ताकि मामले की सुनवाई की जा सके और योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

यह न्यायालय, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और उनकी ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने तथा इस याचिका में दिए गए कारण पर भी विचार करने के बाद, रिट याचिका को डब्ल्यू. पी. (सी) 4115/2017 को उसकी मूल फाइल में पुन: स्थापित करना उचित मानता है। परिणामस्वरूप इस सिविल विविध याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।

इसके मद्देनजर, की रिट याचिकाडब्ल्यू. पी. (सी) सं. 4115/2017 को उसकी मूल फ़ाइल में पुन: स्थापित किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

रोहित/